

रामकृष्ण विवेकानंद विद्यापीठ,कपिलधारा , बिजुरी,जिला-अनुपपुर (म. प्र. )

Ph:- 07658-264037,264874,6267161675

Website:-[www.rkvvbijuri.org](http://www.rkvvbijuri.org) , E-Mail:-[rkvvbijuri@rediffmail.com](mailto:rkvvbijuri@rediffmail.com)

“समान प्रदान करने हेतु फर्मों का पंजीकरण/नवनीकरण (2019-20)”

रामकृष्ण विवेकानंद विद्यापीठ,कपिलधारा,बिजुरी,जिला-अनुपपुर (म.प्र.) मे सामानों की आपूर्ति करने वाली फर्मों आदि का पंजीयन,वर्ष 2019-20 के लिए दिनांक 15/03/2019 से 30/03/2019 तक कार्यालीन समय 11.00 से 1.00 तक किया जाना है! इच्छुक फर्म निम्नलिखित कार्य करने के लिए अपने आवेदन निर्धारित प्रपत्र मे पूर्ण रूप से भरकर पंजीयन प्रमाण पत्र,GSTN,E-Mail,Phone No.,पूर्व अनुभव की जानकारी/आवश्यक लाइसेंस/वैध आयकर रिटर्न/G.S.T.रिटर्न आदि के साथ संबंधित साक्ष्यों की सत्यापित छायाप्रती लगाकर पंजीयन प्रत्रक पूर्ण रूप से हस्ताक्षरित सहित हाथों हाथ जमा कर सकते हैं !

क्रं. सं.	वस्तु/सामाग्री का नाम	क्रं. सं.	वस्तु/सामाग्री का नाम
1	प्रयोगशाला उपकरण /सामाग्री	13	ए. सी. एवं वॉटर प्यूरिफायर का वार्षिक रखरखाव
2	खेलकुद उपकरण / सामाग्री	14	अग्निशमन यंत्र की रिफ्लिंग / सप्लाई
3	कम्प्युटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर	15	बिल्डिंग मटेरियल,पेंटिंग,चुना आदि
4	स्टेशनरी समार्गी	16	परिसर सफाई एवं गार्डन कार्य हेतु मजदुर प्रदाय
5	फर्नीचर रिपेरींग /सप्लाई	17	नल रिपेरींग एवं फिटिंग कार्य
6	प्रिंटिंग कार्य	18	सी.सी.टीवी वार्षिक रखरखाव
7	दवाईयाँ/मेडिकल उपकरण / सामाग्री		
8	म्यूजिक उपकरण / सामाग्री /रिपेरींग /सप्लाई		
9	किराए पर टेंट		
10	इलेक्ट्रानिक /इलेक्ट्रिकल सप्लाई		
11	सिविल कंस्ट्रक्सन / रिपेरींग		
12	बस सेवा		

नोट:- (1)विद्यालय की वैबसाइट [www.rkvvbijuri.org](http://www.rkvvbijuri.org) से पंजीकरण से संबंधित से निर्धारित पत्रण को

डाउनलोड कर उक्त निर्धारित पत्रण मे ही भरा हुआ आवेदन मान्य होगा !

(2) अलग - अलग कार्य के लिए अलग-अलग पंजीयन पत्रक आवश्यक है!

(3) बंद लिफाफे के उपर स्पष्ट शब्दों मे किस कार्य के लिए पंजीयन कराये जाना है का विवरण लिखा होना आवश्यक हैं !

निर्देशक, रामकृष्ण विवेकानंद विद्यापीठ,कपिलधारा , बिजुरी

## “निविदा सूचना”

रामकृष्ण विवेकानंद विधापीठ

कपिलधारा, बिजुरी, जिला- अनुपपुर (म.प्र.)

### नियम एवं शर्तें

1. फ़र्म या संस्था द्वारा प्रस्तुत, प्रत्येक समूह के लिए प्रथक आवेदन, निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकृत होगा।
2. आवेदन-पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर आवेदनकर्ता फर्म या संस्था के अधिकृत प्रतिनिधिके हस्ताक्षर होने चाहिए।
3. आर.के.व्ही.व्ही विधालय-प्रबंधन के पास किसी भी आवेदन को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित है। किसी भी विवाद की स्थिति में प्रबंधन का निर्णय अंतिम, मान्य एवं बाध्य होगा।
4. उन संस्थाओं या फर्म को प्राथमिकता दी जाएगी जो शासकीय विभागों, शासकीय उपक्रमों की स्वीकृत सूची में होंगे।
5. अनुमोदित आपूर्तिकर्ता के रूप में फर्म के पंजीकरण के संबंध में सूचना देकर प्रत्येक फर्म को सूचित किया जाएगा।
6. अनुमोदित आपूर्तिकर्ता के रूप में पंजीयन एक वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा। तो भी साल में एक बार इसकी समीक्षा की जाएगी। जो फर्म संबन्धित व्यवसाय से बाहर आ चुकी है, कार्य छोड़ चुकी है या जिनका कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाएगा वे हमारी प्राथमिकता से बाहर हो जाएंगी।
7. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन-पत्र विधालय की वैबसाइट [www.rkvbijuri.org](http://www.rkvbijuri.org) से और विधालय कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
8. मान्यताप्राप्त अभिकर्ता (एजेन्ट) एवं अधिकृत डीलर/स्टाकिस्ट की स्थिति में उनके निर्माता की ओर से संतोषजनक प्रमाण एवं साक्ष्य, सम्पूर्ण रूप से भरे हुये आवेदन-पत्र के साथ जमा करने होंगे।

9. यदि आर.के.व्ही.व्ही विधलाय, बिजुरी, किसी फर्म या संस्था को अधिकृत आपूर्तिकर्ता के रूप में पंजीकृत करती है तो उसे संबन्धित वस्तुओं एवं सामग्री की आपूर्ति आर.के.व्ही.व्ही. स्कूल कैम्पस, बिजुरी, जिला-अनुपपुर में करनी होगी। उस संस्थान या फ़र्म को आर.के.व्ही.व्ही, बिजुरी की भुगतान की शर्तें मान्य होंगी। वस्तुओं की आपूर्ति अच्छी स्थिति/ कार्य संपूर्ण रूप एसई समाप्त होने के 30 दिनों के अंदर, भुगतान क्रॉस चेक के माध्यम से किया जाएगा।
10. आवेदनकर्ता फर्म या संस्था के पता, फोन, फ़ैक्स, एवं ई-मेल आईडी में किसी परिवर्तन की स्थिति में आर.के.व्ही.व्ही. को तुरंत सूचित करने का कष्ट करें ताकि संबंधित फर्म के साथ संपर्क बना रह सके।
11. पंजीकन के समय, नीचे लिखे दस्तावेज़ जमा करें-
- 1) फर्म का पंजीयन पत्र
  - 2) पैन नंबर की छायाप्रति
  - 3) G.S.T नंबर, कर निर्धारण प्रति 2018-19
  - 4) आधार नंबर

निर्देशक  
आर.के.वी.वी. बिजुरी

**RAMAKRISHNA VIVEKANANDA VIDYAPEETH,  
KAPILDHARA COLONY,P.O. BIJURI-484440  
PH.NO.07658-264874,264037, 6267161675**

**FORM FOR THE REGISTRATION OF THE FIRMS FOR THE PERIOD OF ONE YEAR i.e. 2019-2020**

**Sub :- Registration firms/Agencies for Supply/service**

1. Name & Address of the firms :.....  
.....  
.....
2. Telephone Number :.....
3. Email Id and Mobile no :.....
4. Name of the owner of the firm with address :.....
5. GST NO :.....
6. Aadhar No :.....
7. PAN number of the owner/firm :.....
8. Copies of ITR of last 03 years should be attached with format :.....
9. Details of experience & Place of work during the last 03 years

Institution where Rendered service/supplied articles	Period	Name of the service/Supplies	If contract cancelled before expiry , mention region

**NOTE: Without GST/PAN and Aadhar number, no firm will be registered. The Vidyapeeth reserves the right to cancel the name of the supplier/firm/service provider from its approved lists at its absolute discretion without assigning any reason.**

**DECLARATION**

I Mr./Ms. \_\_\_\_\_ Proprietor of M/S \_\_\_\_\_ do hereby undertake that the above furnished information is correct to the best of my knowledge and belief. In case of any information / supporting document furnished by me found to be incorrect / false, the offer of my contract will be cancelled automatically and action may be taken as per Vidyapeeth rule. I assure you to provide the best service to the Vidyapeeth.

SEAL OF COMPANY

Signature with Date,  
Name and Designation of the  
Authorized Representative of the  
Firm